

# उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग <u>नीति</u> के अंतर्गत







राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद

14 मंजिल अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना

उत्तर प्रदेश सरकार की हाउसिंग पॉलिसी द्वारा सामान्य नागरिकों को सस्ते घर का उपहार

EWS<sup>\*</sup>भवन - ₹4.86 लाख

LIG<sup>\*</sup>भवन - ₹11.89 लाख

<sup>\*</sup>भवनों का आवंटन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) द्वारा लकी ड्रा से

भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत होम लोन पर



पूरा करें अपने घर का सपना

आवंटन हेतु पंजीकरण पुस्तिका म्ल्रग्ः

# दीया ग्रीनसिटी

# भवनों की विशेषताएं

- परियोजना क्षेत्रफल 56500 वर्ग गज (11.7 एकड़) फ्री होल्ड भूमि पर
- 80 फिट व 100 फुट चौड़ी रोड़ पर स्थित फ्री होल्ड भूमि
- बाउंड्री वॉल से सुरक्षित परिसर
- उ.प्र. शासन की नीति के अनुसार कोई अतिरिक्त लोकेशन चार्ज, पार्किंग चार्ज, बाहरी विकास शुल्क, आंतरिक विकास शुल्क, ग्राउंड रेंट, लीज रेंट व बाहरी विद्युतीकरण शुल्क देय नहीं
- राजनगर एक्सटेंशन एलीवेटेड रोड़ द्वारा गाजीपुर, दिल्ली, सेक्टर 63 नोएडा से परियोजना स्थल मात्र 15 मिनट की दूरी पर।
- घरेलू उड़ानों के लिए हिंडन एअरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर स्थित।
- मेट्रो स्टेशन / पेरिफेयरल एक्सप्रेसवे से 5 मिनट की दूरी पर स्थित परियोजना
- राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित BCCI क्रिकेट स्टेडियम परियोजना के निकट।
- दिल्ली—मेरठ रैपिड रेल का स्टेशन परियोजना स्थल के निकट प्रस्तावित।
- परियोजना में स्कूल, दुकानें, बैंक, रेस्टोरेंट, क्लब, होटल आदि हेतु व्यवसायिक स्थान उपलब्ध।
- परियोजना में क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम्नेजियम, ग्रीन पार्क, जागिंग ट्रेक, इंडोर गेम्स (टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम) आदि की सुविधा उपलब्ध
- बुिकंग के बाद मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी
- भवनों का निर्माण IIT Delhi के भूकंपरोधी डिजाईन पर कराया जा रहा है।
- रेरा में पंजीकृत परियोजना। यूपी रेरा रजिस्ट्रेशन संख्या UPRERAPRJ6568
- कब्जा दिसम्बर 2019 में प्रस्तावित ।



कुछ लोग बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अर्फोडेबल / प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से बुकिंग कर रहे हैं। धोखे से बचने के लिए बुकिंग से पहले परियोजना के स्वीकृत मानचित्र व निर्माण स्थल की जांच कर अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करें। अधिक जानकारी के लिए आवास बन्धु, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

उ.प्र. सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत

# दीया ग्रीनसिटी

#### राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद

UNDER U.P. GOVT.'S AFFORDABLE HOUSING POLICY

## **DIYA GREENCITY**

RAJNAGAR EXTENTION, GHAZIABAD 201001 (U.P.)

#### 1.00 योजना का नाम

उ.प्र. सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अर्न्तगत दुर्बल आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम (MIG) व उच्च आय (HIG) वर्गों के लिए 2, 3 व 4 कमरों के बहुमंजिलें आवासीय भवनों का दीया ग्रीनसिटी राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद में आवंटन हेत् पंजीकरण।

#### 2.0 योजना का कोड

दीया ग्रीनसिटी योजना कोड – 846

- 3.0 योजना का विवरण:-
- 3.10 स्थान : उक्त योजना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में स्थित है।
- 3.20 भवनों के प्रकार: इस योजना में दुर्बल आय वर्ग (EWS), अल्प आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम (MIG) व उच्च आय (HIG) वर्गों के लिए 2, 3 व 4 कमरों के बहुमंजिलें उपलब्ध भवनों का आवंटन किया जाना है। भवनों का विवरण तालिका संख्या 1 में दिया गया है।
- 3.30 भवनों का क्षेत्रफल : विभिन्न प्रकार के भवनों का क्षेत्रफल पंजीकरण पुस्तिका की तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है। कब्जे के समय अपरिहार्य कारणों से यह क्षेत्रफल कुछ भिन्न हो सकता है।
- 3.40 भवनों की संख्या : भवनों की संख्या का विवरण पंजीकरण पुस्तिका की तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है। अपरिहार्य कारणों से भवनों की संख्या में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।
- 3.50 भवनों का अनुमानित मूल्य : भवनों का अनुमानित मूल्य पंजीकरण पुस्तिका की तालिका संख्या 1 में दर्शाया गया है।
- 4.00 पात्रता
- 4.10 आवेदक भारत का नागरिक हो ।
- 4.20 आवेदन पत्र जमा करने की तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है।

#### 1.00 SCHEME NAME

Under the Affordable Housing Policy of UP Govt., registration for allotment of EWS, LIG, MIG & HIG of 2/3/4 Rooms Affordable Houses in DIYA GREENCITY Raj Nagar Extn Ghaziabad.

#### 2.0 SCHEME CODE

Diya GreenCity Scheme Code: 846.

- 3.0 SCHEME DETAILS:-
- 3.10 LOCATION: The aforesaid scheme is situated in the area of Ghaziabad Development Authority.
- 3.20 TYPE OF AFFORDABLE HOUSES: Different Types of EWS, LIG, MIG & HIG of 2/3/4 Rooms Affordable Houses are available for allotment under this scheme. The details of the affordable houses are given in Table No. 1.
- 3.30 AREA OF AFFORDABLE HOUSES: Area of different types of affordable houses are mentioned in Table No. 1 in the Prospectus. This area may differ due to unforeseen reasons at the time of possession.
- 3.40 NUMBER OF AFFORDABLE HOUSES: Details of numbers of affordable houses are given in Table No.1 of the Prospectus which may differ due to unforeseen reasons without any prior information.
- 3.50 COST OF AFFORDABLE HOUSES: Cost of affordable houses are mentioned in Table No. 1 in application form.
- 4,00 ELIGIBILITY
- 4.10 The applicant must be a citizen of India.
- **4.20** The applicant must be more than 18 years of age on the date of submission of application form.

4.30 आवेदक या उसके परिवार के पास उ०प्र० सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजनाओं में एक से अधिक भूखण्ड / भवन आवंटित नहीं होना चाहियें।

परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसका पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है।

विवाहित आवेदक व उसके माता पिता के परिवार को पृथक पृथक परिवार माना जाएगा।

एक वयस्क, अविवाहित तथा आत्मनिर्भर आवेदक अपने एकल नाम से भी आवेदन कर सकता है।

4.40 जिन व्यक्तियों ने उ०प्र० सरकार की किसी अन्य अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के अर्न्तगत पहले से भी पंजीकरण करवाया हुआ है तथा अभी तक आवंटन नहीं हुआ हैं, ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर आवंदन कर सकते है जिन्हें इस योजना के आवंटन ड्रा में अन्य आवंदकों के समकक्ष ही माना जायेगा।

#### 5.00 आवेदन कैसे करें:-

आवेदन पत्र / पंजीकरण पुस्तिका दिनांक 15.07.2018 से बैंको की प्रमुख शाखाओं से ₹ 200.00 के नगद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।

विधिवत रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र पंजीकरण धनराशि के चैक सहित चयनित बैंक शाखाओं में जमा कराया जा सकता है।

इस योजना में ऑनलाईन पंजीकरण www.diyagreencity.com पर भी किया जा सकता है। पंजीकरण राशि का भुगतान नेटबैंकिंग अथवा डेबिट / क्रेडिट कार्ड / के द्वारा किया जा सकता है।

5.10 पंजीकरण राशि: पंजीकरण पुस्तिका की तालिका—1 के कालम संख्या 8 के अनुसार पंजीकरण धनराशि का भुगतान चेक / ऑनलाईन द्वारा जमा कराना होगा। पंजीकरण पुस्तिका का मूल्य ₹200.00 पंजीकरण धनराशि में समायोजित नहीं होगा। पंजीकरण पुस्तिका का मूल्य वापसी योग्य नहीं है।

#### 6.00 सफल आवंटन

पंजीकृत आवेदकों को भवनो का आवंटन पारदर्शी ड्रॉ /लॉटरी के द्वारा किया जायेगा।

ड्रॉ / लॉटरी में सफल आवंटन के लिये आवेदकों को बुकिंग धनराशि (भवन के मूल्य का 10 प्रतिशत) बैंक ड्रॉफ्ट / चेक / आनॅलाईन भुगतान माध्यम द्वारा देय होगी। बुकिंग धनराशि (भवन के मूल्य का 10 प्रतिशत) में आवेदन पत्र के साथ जमा की गई पंजीकरण धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।

असफल आवेदको की पूर्ण धनराशि चेक/आनॅलाईन भुगतान के माध्यम से वापस की जायेगी। 4.30 The applicant or his/her family must not own more than one residential plot / house developed under the Affordable Housing schemes of UP Govt.

The family means applicant, his wife /her husband and minor children.

Married applicant and his Parents will be considered as separate families.

An applicant who is adult, unmarried and Self dependent may also apply in his/her name.

4.40 Persons who are already registered under any other affordable housing scheme of UP Govt. but till date have not been allotted a house, may also apply under this scheme. Such applicants will be treated at par with others in the allotment draw for this scheme.

#### 5.00 HOW TO APPLY

The Application Form / Prospectus is available in selected bank branches of w.e.f. 15.07.2018 on cash payment of ₹200.00 only.

Duly signed application form along with Cheque / Bank Draft of registration amount may be deposited into the selected bank branches as mentioned in Prospectus.

The registration may also be done online on : www.diyagreencity.com. The Registration Amount may be paid online through Net Banking or Debit / Credit Card.

5.10 REGISTRATION AMOUNT: The amount as shown in Table No. 1 Column 8 of the Prospectus has to be paid by Cheque / Bank Draft / Online. Application Form charge of ₹ 200.00 is not adjustable in registration amount. Application Form charges are non-refundable.

#### 6.00 SUCCESSFUL ALLOTMENT

Registered Applicants of the scheme will be allotted an affordable house in a transparent draw / lottery system. For successful allotment in Draw /Lottery, the applicant have to pay booking amount (10% of the cost of the affordable house). The Registration Amount paid along with application form will be adjusted in Booking Amount (10% of the cost of the affordable house).

The Unsuccessful applicants in allotment draw will get full refund of their amount through bank draft / cheque / online.

#### 7.00 असफल आवेदक

7.10 जिन आवेदकों को भवन आवटिंत नहीं हो पाते है, उनके द्वारा जमा की गई पूर्ण धनराशि ड्रॉ के पश्चात 2 माह के अंदर बिना ब्याज के चैक / ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से वापस कर दी जाएगी।

#### 8.00 आय कोड

दुर्बल आय वर्ग (EWS) के भवनों के आवंटन हेतू आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹3.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। EWS भवनों के लिए आय कोड 01 है।

अल्प आय वर्ग (LIG) के भवनों के आवंटन हेतू आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 3.00 लाख से ₹ 6.00 लाख के मध्य होनी होनी चाहिये। LIG भवनो के लिए आय कोड 02 है।

इस योजना में MIG/HIG भवनों के आवेदकों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। सभी आयवर्ग के आवेदक MIG/HIG भवनों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनका आय कोड 03 है। आवंटन ड्रा होने के उपरान्त, EWS/LIG भवनों के सफल आवंटियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वार्षिक आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा आवंटन निरस्त हो जाएगा।

#### 9.00 कोटा

9.10 शासनादेशों के अनुसार निम्नानुसार आरक्षण की सुविधा दी जायेगी।

क्र स	श्रेणी	कोड	प्रतिशत
1.	सामान्य आवेदक	01	_
2.	अनुसूचित जाति	02	21%
3.	अनुसूचित जन जाति	03	2%
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	27%
5.	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी		
	(जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो)		
	(क) रक्षा कार्मिक	05 Т	5%
	(ख) सरकारी कार्मिक	06 J	3 70
6.	(क) स्वतंत्रता सेनानी	08 7	5%
	(ख) संसद सदस्य / विधायक	09 ]	370
7.	(क) उ.प्र. विकास प्राधिकरण कर्मचारी	10 7	
	(ख) सिटी बोर्ड कर्मचारी	11	
	(ग) उ.प्र. नगर निगम कर्मचारी	12	
	(घ) उ.प्र. जल संस्थान कर्मचारी	13	
	(ड) उ.प्र. हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी	14	
	(च) उ.प्र. नगर एवं ग्राम नियोजन के	15	2%
	कर्मचारी (जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा		
	पूर्ण कर ली हो)		
	(छ) आवास बन्धु उ.प्र. कर्मचारी	16	
	(जिन्होंने कम से कम 2 वर्ष निरन्तर सेवा		
	पूर्ण कर ली हो)		

भूतपूर्वक सैनिक एवं उनके आश्रित

8.

#### 7.00 UNSUCCESSFUL APPLICANTS

7.10 The Unsuccessful applicants in allotment draw will get full refund of their amount within two months from the date of draw without any interest.

#### 8.00 INCOME CODE

For EWS houses, the gross annual family income of applicants should not be more than ₹ 3.00 lac from all sources. For EWS houses income Code is 01.

For LIG houses, the gross annual family income of applicants should be from  $\stackrel{?}{\underset{?}{?}}$  3.00 lac to  $\stackrel{?}{\underset{?}{?}}$  6.00 lac from all sources, For LIG houses income Code is 02.

For MIG, HIG of 2/3/4 rooms applicants of all income group may apply and their income code is 03.

After allotment draw, the successful allotees of EWS & LIG houses have to provide their latest annual income certificate issued by the competent Authority failing which their allotment will be canceled.

#### 9.00 QUOTA

9.10 As per Govt order reservation facility will be given in following way

	lollowing way		
S.No	Quota Description	Code	Percentage
1.	General Category	01	_
2.	Scheduled Caste	02	21%
3	Schedule tribe	03	2%
4.	Other Backward Class	04	27%
5	Defence Persons, Govt . Employees		
	(who have attained the age of 50 years.)		
	(a) Defense persons	05 7	5%
	(b) Persons in Govt. Service	ل 60	3%
6.	(a) Freedom Fighters		5%
	(b) MP/MLA/MLC	09 ]	370
7.	(a) Employee of Development boards	10 7	
	(b) Employee of City Board	11	
	(c) Employee of Nagar Nigam	12	
	(d) Employee Jal Sansthan	13	
	(e) Employee of U.P. Housing Board	14	
	(f) U.P. City Housing Board	15	2%
	Village Planning's Employees		
	(who have finished minimum 10 years in		
	Regular service will be included)		
	(g) Employee of Awas Bandhu UP	16	
	(who have finished minimum 2 years in		
	Regular service)		
8.	Ex-Serviceman and their dependents	17	3%

#### 9.20 क्षेतिज आरक्षण

- 1. दिव्यांगजन आवेदक को शासनादेश सं. 786 / 9—1—08—25 विविध / 07 दिनांक 30.01.2008 एवं 3645 / 8—1—2011—25 विविध / 07 दिनांक 19.12.2011 के अनुसार कुल घोषित भवनों की संख्या का 3 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण दिया जाएगा। आवंटन ड्रा / लाटरी में सफल होने वाले दिव्यांगजन आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी आवेदक द्वारा किसी विशेष तल अथवा भवन हेतु मांग पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
- 2. विरष्ठ नागरिकों को कुल घोषित भवनों की संख्या का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। विरष्ठ नागरिक का अभिप्राय है कि योजना प्रारंभ होने की तिथि को आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो। आवेदन पत्र में विरष्ठ नागरिक होने का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। आवंटन ड्रा/लाटरी में सफल होने वाले विरष्ठ नागरिक आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विरष्ठ नागरिक होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी आवेदक द्वारा किसी विशेष तल अथवा भवन हेतु मांग पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
- आवंटन ड्रा में सफल आवंटियों को तत्पश्चात आरक्षण श्रेणी अथवा दिव्यांजन अथवा विरष्ठ नागरिक होने का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र अथवा अन्य वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

#### 10.00 सामान्य आवेदक

भवनों का आवंटन लाटरी / ड्रॉ की निधारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। यदि आरक्षित श्रेणी के आवंदकों की संख्या उनके लिए आरक्षित भवनों से कम रहती है, तो रिक्त आरक्षित भवन सामान्य आवंदकों को आवंटित किए जाएंगे। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवंदन करने वाले आवंदक अपने आवंदन पत्र में कोटा कोड़ 01 भरे।

#### 11.00 ड्रा प्रक्रिया

योजना में भवनो का आवंटन इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में पारदर्शी आवंटन ड्रा/लॉटरी द्वारा किया जायेगा। आवंटन ड्रा/लॉटरी किये जाने की तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदकों को समाचार पत्रों/ ईमेल/एसएमएस/दीयाग्रीनिसटी की वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन विशेष हेतु कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।

#### 9.20 Horizontal Reservation

- 1. As per GO No. 786/9-1-08-25 Vide / 07 dated 30.01.2008 and GO No. 3645/8-1/-2011-25 Vide/ 07 dated 19.12.2011 handicapped applicant will be given 3% horizontal reservation of total declared flats. The successful applicants in allotment draw will provide a certificate issued by competent authority regarding their disability. However request for specific floor or unit number will not be possible to entertain.
- 2. Senior citizens will also get 10% horizontal reservation of total declared flats.

Senior citizen means that the applicant has attained the age of 60 years on the date of application.

The applicants will mention in the application form about their status of senior citizenship.

The successful applicants in allotment draw will provide a certificate issued by competent authority regarding their age. However request for specific floor or unit number will not be possible to entertain.

3. Applicants availing reservation in any category will summit required certificate/documents issued by competent authority after the allotment draw. In case Successful allotees fails to provide required certificate / documents the allotment may be cancelled.

#### 10,00 GENERAL APPLICANTS

Affordable houses shall be allotted as per procedure of allotment draw/lottery. In case the applications for reserved category are lesser than their reserved houses then the remaining reserved units would be allotted to general applicants. Applicants applying under general category should fill 01 as QUOTA CODE in the application form.

#### 11.00 DRAW PROCEDURE

The allotment of affordable houses in the scheme will be made by a transparent allotment draw/lottery in the presence of the applicants, who wish to be present. Information regarding the date & place of draw /lottery will be given by advt. in Newspaper/Email/SMS/Website of DiyagreenCity. Request for specific floor/ house by an applicant shall not be entertained.

#### 12.00 किश्तें

- 12.10 भवन के मूल्य का 10 प्रतिशत बुकिंग धनराशि जमा कराने के उपरान्त शेष 90 प्रतिशत भवन का मूल्य प्रत्येक दो माह के अन्तराल में नौ (09) किश्तों में बिना किसी ब्याज के 18 महीनों में देय होगा।
- 12.20 आवेदक अपनी आवश्यक्ता एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर निर्माण आधारित भुगतान विकल्प (कस्ट्रक्शन लिंक प्लान) में बैंक द्वारा ऋण सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर सकता है। आवेदक की ग्राहयता के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बैंक से ऋण प्राप्त करने पर CLSS स्कीम में ₹ 2.67 लाख तक की सबसिडी का लाभ आवटी बैंक से सीधे प्राप्त कर सकता है। आवटीयों द्वारा किश्तों के भुगतान हेतु लिए गये बैंक ऋण पर देय ब्याज का भुगतान आवटी को स्वयं करना होगा।
- 12.30 दीया ग्रीनसिटी परियोजना निम्न बैंको एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा आवंटियों को हाउसिंग लोन देने हेतु स्वीकृत एवं अनुमोदित है—
  स्टेट बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहबाद बैंक, सिंडीकेट बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ, यैस बैंक, एक्सिस बैंक, डीएचएफएल, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लि.

#### 12.40 एकमुश्त भुगतान पर छूट

आवंटन पत्र की तिथि से 60 दिनों के अंदर भवन के मूल्य का बकाया 90 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त भुगतान करने पर भवन के पूर्ण मूल्य में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आवंटन पत्र की तिथि के 60 दिन के पश्चात भुगतान करने पर एकमुश्त छूट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

#### 12.50 पैनल ब्याज

यदि देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो विलम्ब की गयी धनराशि पर 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज सिहत देय राशि का भुगतान करना होगा। ब्याज की गणना प्रतिदिन के हिसाब से की जाएगी।

#### 13.00 समर्पण/निरस्तीकरण

13.10 यदि कोई आवेदक पंजीकरण धनराशि जमा करने के 30 दिनों के अन्दर अपना आवेदन रद्द करता है / वापस लेता है तो उसके द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती कर शेष बकाया धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। आवेदन समर्पण करने का प्रार्थनापत्र समस्त असल भुगतान प्रपत्र, मूल रसीदे सहित परियोजना स्थल पर जमा कराना होगा।

#### 12.00 INSTALLMENTS

- 12.10 After the payment of booking amount (10% of the cost of the affordable house) the balance 90% amount will be payable in 18 months through Nine (09) Bi-Monthly Interest Free Installments.
- 12.20 Based on the requirement and financial eligibility, banks may provide housing loan facilities under construction linked payment plan (CLP) to the allotee. The first time urban home buyer may also avail benefits of the Subsidy of upto ₹ 2.67 Lakhs under CLSS Scheme in Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) directly from the bank providing housing loan facility to him. However the payment of the interest to the bank will be paid by the allotee.
- 12.30 Diya Greencity project is duly approved by the following banks for providing housing loans to successful allotees: State Bank of India, Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce, Canara Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, Yes Bank, Axis Bank, DHFL, India Bull Housing Finance Ltd.

#### 12.40 ONE TIME PAYMENT DISCOUNT

Discount of 5% on full cost of affordable house will be provided if the balance 90% payment is made within 60 days from the date of allotment letter. This discount facility on one time payment will not be applicable in case of late payment after 60 days from the date of allotment letter.

#### 12.50 PENALINTEREST

If the payable / due amount is not paid within time, penal interest @15% per annum shall be paid along with the payable amount. Penal interest will be calculated on daily basis.

#### 13.00 SURRENDER/CANCELLATION

13.10 If an applicant withdraws / cancels his application for allotment within 30 days from the date of payment of registration amount, then 20% of the registration amount shall be forfeited and the balance amount shall be refunded without any interest. An application for cancellation along with original payment receipts, ID Proof of applicant will have to be submitted at project site for cancellation.

- 13.20 धनराशि आवेदको के बैंक खातो में बैंक ड्राफ्ट / चैक / ऑनलाईन भुगतान के माध्यम द्वारा वापिस कर दी जायेगी।
- 13.30 भुगतान विवरण के अनुसार लगातार तीन किश्तें / बुंकिंग धनराशि जमा न कराने की दशा में भवन का आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटी भी परियोजना में से अपना आवंटन समंपण कर सकता है। किसी भी प्रकार के निरस्तीकरण / समंपण की दशा में बुंकिंग धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष बकाया धनराशि यदि हो तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
- 13.40 मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपानाः यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएं दी गई है अथवा उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।
- 13.50 यदि आवंटी कब्जे की निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो ₹ 800.00 प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क देय होगा। प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल को चल रहे प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क में 10 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोतरी की जाती रहेगी। 3 माह तक कब्जा न लेने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं धारा 13.30 के अनुसार कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

#### 14.00 कब्जा

- 14.10 इस योजना में भवन का कब्जा भवन निर्माण एवं विकासकार्य पूर्ण होने की पश्चात एवं आवंटी द्वारा कुल भवन मूल्य / अन्य शुल्क, जमा करने तथा विक्रय विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा। विक्रय विलेख का व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।
- 14.20 परियोजना REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2016 के प्राविधानों के अनुसार (RERA) में पंजीक्त है जिसकी पंजीकरण संख्या UPRERAPRJ6568 है।
- 14.30 आवंटी को समय—समय पर लागू होने वाले समस्त म्युनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उप—नियम के अन्तर्गत लगाये जाते हैं, उनका भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय पर जमा करना होगा।
- 14.40 आवटी विद्युत /पानी /गैस कनैक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्च पर स्वयं लेगा।

- **13.20** The amount shall be refunded in the applicants' bank accounts through Draft/Cheque or Online.
- 13.30 According to the payment schedule, if there is default in payment of three consecutive installments / booking amount, the allotment of the affordable house may be cancelled. The Allottee also have the right to surrender his allotment. In any case of cancellation /surrender, booking amount shall be forfeited and the balance remaining amount shall be refunded without any interest.
- 13.40 Fake Representation of Suppression of Facts: If it is found that the applicant has given incorrect information or suppressed any material fact, the allotment may be cancelled.
- 13.50 If the allottee does not take the possession of the flat on due date, watchman charge @ Rs. 800/- per month shall be charged and will be increased automatically by 10% every year from 1st April.
  In case the possession is not taken within three months from the offered date, allotment shall be cancelled and action shall be taken as per clause 13.30 and balance amount would be refunded without any interest.

#### 14.00 POSSESSION

- 14.10 Possession of affordable house in this scheme shall be handed over after completion of construction, development work and payment of total amount /other charges and registration of sale deed by allottee. The cost of sale deed shall be borne by the allottee
- 14.20 The project is duly registered under the provisions of REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 2016 having RERA Reg. No. UPRERAPRJ6568.
- 14.30 Allottee shall pay all the municipal taxes and any other taxes which may be charged by Central Government / U.P. Govt. or any local bodies from time to time according to laws and byelaws from the date of possession.
- **14.40** Allottee will take the electricity/water/Gas connection from concerned department at his/her own cost.

#### 15.00 विक्रय विलेख

आवंटी को भवन का समस्त मूल्य जमा कराने के उपरान्त, कब्जा पत्र की तिथि से 3 महीने के अंदर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर, अपने खर्चे पर भवन का विक्रय विलेख पंजीकृत कराना होगा। आवंटी उ.प्र. शासन की नीति के अनुसार रिजस्ट्री शुल्क में उपलब्ध छूट प्राप्त कर सकता है।

#### 16.00 भवनों का प्रयोग

आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

#### 17.00 अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं

- 17.10 इस योजना में भवनों के आवंटन से पूर्व किसी भी नियम और शर्तों में संशोधन किया जा सकता है तथा ऐसे संशोधन आवेदकों को मान्य होंगे।
- 17.20 किसी विवाद की दशा में आवास बन्धु आवास व शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ द्वारा स्वीकृत डीपीआर के आधार पर गाजियाबाद न्यायालय का निर्णय मान्य होगा।
- 17.30 आवेदन पत्र / विवरण पुस्तिका के किसी भी नियम में भ्रम की दशा में का अंग्रेजी में लिखा गया विवरण मान्य होगा।

#### 15.00 SALE DEED

After making full payment, Allotte within three months from the date of possession letter has to complete all formalities and get the sale deed executed and registered in his name. As per the policy of UP Govt., the allotte may get rebate in registry charges.

#### 16,00 USE OF AFFORDABLE HOUSES

The affordable houses shall be used for residential purpose only by the allottee.

#### 17,00 OTHER IMPORTANT NOTICES

- 17.10 Before allotment of houses, any terms and conditions of the scheme may be revised and the same shall be applicable on the applicants.
- 17.20 In case of any disputes, based on DPR approved by Awas Bandhu Lucknow, Ghaziabad courts shall have jurisdiction.
- 17.30 In case of any confusion regarding terms of the prospectus / application form, the English version of the contents will be treated as authenticated.

### आवेदन पत्र भरने के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त

- 1. आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर आवेदकों द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।
- 2. आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र के कोड आदि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि भरने के लिए भारतीय संख्याओं के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल इस प्रकार भरे हुए कोड नं0 को ही अभिलेखों में लिया जाएगा।
- इन आवेदन पत्रों को एक कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा प्रोसिस किया जाएगा। अतः इन फार्मो को केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरा जाना चाहिए। तथापि उस पर हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किए जा सकते हैं।
- 4. विभिन्न मदों के कोड नं0 स्कीम ब्रोशर में दिए गए हैं।
- 5. अधूरे / अवैध / अपठनीय आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
- 6. एक खाने में केवल एक वर्ण (अक्षर अथवा अंक) ही भरें।
- नाम / पते के लिए प्रत्येक दो शब्दों के बीच में एक खाना खाली छोड़ें।
- 8. आवंटी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवंदन संख्या, योजना कोड एवं सम्पत्ति कोड अवश्य लिखना चाहिए। जब तक आवंदक को सम्पत्ति कोड नहीं मिलता है। पंजीकरण फार्म की क्रम संख्या लिखी जा सकती है।
- 9. डाक पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना परिवर्तित पते का आधार कार्ड / पहचान पत्र / निवास प्रमाण पत्र विकासकर्ता को तत्काल दी जानी चाहिए।
- 10.00 आवेदन पत्र भरने के लिए मदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।
- 10.01 मद—1 : योजना का नाम पूर्ववत् अंकित है।
- 10.02 मद-2 सम्पत्ति श्रेणी : आवेदन फार्म में स्वयं भरें।
- 10.03 मद−3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 : नाम, पिता / पित का नाम, पता, पिनकोड, आधार कार्ड, पैन नं0, जन्म तिथि, ई—मेल एवं दूरभाष नं0— ये स्वयं सुस्पष्ट हैं।

# GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

- The application Form must be signed by the applicant(s), or a person duly authorised by him/her.
- 2. The Applicant(s) should use only international form of Indian numerals in the filling of the application form for writing the codes e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Only the code number as thus filled-in will be taken in account.
- The application forms are processed by computerized system. Hence these forms should be filled-in ENGLISH BLOCK LETTERS. Only the signature(s) may, however, be in any language.
- Code Number for various items are given in the scheme brochure.
- Incomplete/Invalid/Illegible application forms are likely to be rejected. No correspondence in this regard shall be entertained.
- Write only one character (alphabet or digital) in one block.
- 7. For Name/Address, leave one blank space in a block between any two words.
- In all future correspondence Applications No., Scheme Code, Property Code should be quoted by the allottee. However, Form Number may be quoted till Allottee's Code is not received.
- Any Change in mailing address should be informed immediately by the allottee with the proof of changed Aadhar Card/Voter I-card/Residential Certificate.
- 10.00 Item-wise details for filling the application form are given below:
- 10.01 Item 1 : SCHEME NAME: Scheme name already mentioned.
- **10.02** Items 2 : PROPERTY CATEGORY : Self fill in the application form.
- 10.03 Items- 3, 4, 5, 6, 7 & 8 : NAME, FATHER'S/HUSBAND'S NAME, ADDRESS, PIN CODE, AADHAR CARD, PAN NO., DATE OF BIRTH, MOBILE No. and E-MAIL ID : These are self-explanatory.

- 10.04 मद 9: लिंग: इस मद में नीचे दिए गये अक्षरों में से कोई एक जो आप पर लागू हो, भरें। यह सूचना केवल प्रथम नाम / एकल आवेदक के संदर्भ में होनी चाहिए। पुरूष के लिए —एम, महिला के लिए एफ, अन्य के लिए ओ।
- 10.05 मद-10 : वैवाहिक स्थिति : इस मद में नीचे दिए गये अक्षरों में से कोई जो आप पर लागू हो, भरे। विवाहित के लिए – एम, अविवाहित के लिए – एस, विधवा / विधुर के लिए – डब्लय, अन्य के लिए – एन
- 10,06 मद-11: व्यवसाय कोड : यह तालिका-2 में दिया गया है।
- 10.07 मद—12 : कोटा कोड : जैसा कि अनुच्छेद—9.00 में विवरण दिया गया है जिसके अनुसार आवेदकों को एक आरक्षण सुविधा दी गई है कृपया अपनी आरक्षित श्रेणी का कोटा कोड नम्बर लिखें। यदि आप एक से अधिक आरक्षित वर्ग में आते हैं तो केवल वही कोड लिखें जिसमें आप रहना चाहते हैं। कोटा के विरूद्ध आवेदन करने हेतु समुचित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर सफल होने पर उपलब्ध कराना होगा। सभी प्रमाण-पत्र आवेदन तिथि से पूर्व के तथा 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए अन्यथा आपका आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा। (क) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडे वर्ग एव स्वतंत्रता सेनानी के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र सफल होने पर उपलब्ध कराना होगा। (ख) मद सं0-13 एवं 14- इस श्रेणी के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र सफल होने पर उपलब्ध कराना होगा।
- 10.09 मद सं0—15 आय कोड : दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्ल्यू,एस.) वर्ग हेतू आवेदक के परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से ₹ 3.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसका आय कोड 01 है। अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) भवनो के लिये आय ₹ 3.00 लाख से ₹ 6.00 लाख होनी चाहिये। इसका आय कोड 02 है। इस योजना MIG/HIG में भवनों के आवेदकों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। सभी आयवर्ग के आवेदक MIG/HIG भवनों के लिए आवेदन कर सकते है जिनका आय कोड 03 है।
- 10.08 मद-16, 17 एवं 18 ये सभी मदें अपने आपमें सुस्पष्ट हैं।
- 11.00 आवेदक के हस्ताक्षर ये स्वयं सुस्पष्ट हैं। बिना हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
- 12.00 योजना की अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र में पते के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 10.04 Item 09 GENDER: Fill one of the following alphabets as applicable in your case against this column. This information should be with reference to the first named of sole applicant only: 'M' for Male, F for Female, 'O' for others (Such as companies etc.)
- 10.05 Item 10 MARITAL STATUS: Fill one of the following alphabets as applicable in your case against this column: M for Married, S for Unmarried, W for Widow/Widower N for others (such as companies etc.)
- 10.06 Item-11: OCCUPATION CODE: This is given in Table-2
- Item-12: QUOTA CODE: Some categories of applicants are given reservation facility as per details given in clause 9.00. Please fill the quota category belonging to your reserved class. If you belong to more than one reserved category fill only that quota code in which you want to put yourself. As mentioned, for getting reservation against quota, the successful applicants must provide certificate received from the competent authority after allotment draw. All the certificates must be prior to the date of application and not older than 6 months otherwise your reservation will be treated as cancelled. (a) Applicants under the category of Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ Backward Classes and Freedom Fighters should attach certificates issued by competent authority. (b) Item - 13 & 14 -Applicants of these categories should attach certificates issued by competent authority.
- 10.09 For EWS houses, the gross annual family income of applicants should not be more than ₹ 3.00 lac from all sources. For EWS houses income Code is 01. For LIG houses, the gross annual family income of applicants should be from ₹ 3.00 lac to ₹ 6.00 lac from all sources. For LIG houses income Code is 02. For MIG/HIG of 2/3/4 rooms applicants of all income group may apply and their income code is 03.
- 10.08 Item 16, 17 & 18 All these items are self-explanatory.
- 11.00 ALLOTTEE'S SIGNATURE: This term is self explanatory. Unsigned application form is liable to rejection.
- 12.00 No request in change of contents of application form shall be entertained after the closing date of scheme except change in address.

# तालिका-1

# भवनों का अनुमोदित मूल्य एवं पंजीकरण धनराशि

भवन का प्रकार	भवन में प्रस्तावित प्राविधान	भवनों की संख्या	भवनों का कोड	आवास बंधु द्वारा अनुमोदित एरिया	सुपर बिल्टअप एरिया	भवनों का मूल्य	पंजीकरण धनराशि
EWS* (Affordable House for Economically Weaker Section)	•1 बेडरूम / लिविंग रूम •1 किचन •1 टायलेट •1 बालकनी	44	TYPE-EWS*	<b>270.93</b> sq.ft.	- N/A -	₹4,85,460	₹15,000
LIG* (Affordable House for Lower Income Group)	•1 बेडरूम •1 ड्राइंग / डाइनिंग रूम •1 किंचन •1 टायलेट •2 बालकनी	44	TYPE-LIG*	<b>431.42</b> sq.ft.	- N/A -	₹11,89,282	₹25,000
2 कमरों का घर (with one covered Two Wheeler parking)	• 1 बेडरूम • 1 ड्राइंग / डाइनिंग रूम • 1 किचन • 1 टायलेट • 2 बालकनी • One Covered Two Wheeler parking	242	TYPE-2A	<b>570.00</b> sq.ft.	<b>684</b> sq.ft.	₹17,36,500	₹30,000
2 कमरों का घर (with one Open Car parking)	•1 बेडरूम •1 ड्राइंग / डाइनिंग रूम •1 किंचन •1 टायलेट •2 बालकनी • One Open Car parking	44	TYPE-2B	<b>570.00</b> sq.ft.	<b>684</b> sq.ft.	₹18,36,500	₹30,000
2 कमरों का घर (with one Covered Car parking)	•1 बेडरूम •1 ड्राइंग / डाइनिंग रूम •1 किचन •1 टायलेट •2 बालकनी • One Covered Car parking	110	TYPE-2C	<b>570.00</b> sq.ft.	684 sq.ft.	₹19,36,500	₹30,000
3 कमरों का घर (with one Open Car parking)	• 2 बेडरूम • 1 ड्राइंग / डाइनिंग रूम • 1 किंचन • 2 टायलेट • 2 बालकनी • One Open Car parking	44	TYPE-3A	807.36 sq.ft.	968.83 sq.ft.	₹24,86,500	₹35,000
3 कमरों का घर + स्टडी रूम (with one Covered Car parking)	• 2 बेडरूम • 1 ड्राइंग / डाइनिंग रूम • 1 किचन • 2 टायलेट • 1 स्टडी रूम • 2 बालकनी • One Covered Car parking	140	TYPE-3BS	<b>925.61</b> sq.ft.	1110.73 sq.ft.	₹29,86,500	₹40,000
4 कमरों का घर (with One Covered Car Parking)	• 3 बेडरूम • 1 ड्राइंग / डाइनिंग रूम • 1 किचन • 2 टायलेट • 4 बालकनी • One Covered Car parking	11	TYPE-4A	<b>1027.89</b> sq.ft.	<b>1233.46</b> sq.ft.	₹34,86,500	₹45,000

\*EWS भवनों (25.17 वर्ग मी.) के लिए आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 3.00 लाख से कम होनी चाहिए \*LIG भवनों (40.08 वर्ग मी.) के लिए वार्षिक आय 3.00 लाख से 6.00 लाख के मध्य होनी चाहिए। पत्रांक संख्या: 576/मा0प्लान/17 दिनांक 28.12.2017 के अनुसार भवनों का आवंटन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) द्वारा ड्रा से किया जाएगा।

नोटः

- 1. 1 वर्ग मीटर = 10.76 वर्ग फूट
- 2. तलों एवं भवनों के लिए कोई वरीयता नहीं है।
- 3. भवनों की संख्या घट / बढ सकती है।



• बुकिंग से पहले घर के बेडरूम, ड्राईंग रूम, बाथरूम व किचन के वास्तविक साइजों की (दीवार छोडकर) जानकारी ऑख कान खोल कर अवश्य कर लें। मौके पर बनाए हुए सेम्पल फ्लैट के कमरों का साइज फीते से अवश्य नाप कर नक्शे के अनुसार जांच ले। प्रिय ग्राहकों, घर में निवेश करते समय गिफ्ट व छूट के लालच में न आए।

# Table-1

#### APPROVED PRICES AND REGISTRATION AMOUNTS OF AFFORDABLE HOUSES

TYPE OF AFFORDABLE HOUSES	PROPOSED PROVISIONS OF HOUSES	No. OF UNITS	UNIT CODE	AREA APPROVED BY AWAS BANDHU	SUPER BUILTUP AREA	PRICE	REGISTRATION AMOUNT
EWS* (Affordable House for Economically Weaker Section)	• 1 Bedroom / 1 Living room • 1 Kitchen • 1 Toilet • 1 Balcony	44	TYPE-EWS*	<b>270.93</b> sq.ft.	- <b>N/A</b> -	₹4,85,460	₹15,000
LIG* (Affordable House for Lower Income Group)	• 1 Bedroom • 1 Drawing Dinning room • 1 Kitchen • 1 Toilet • 2 Balcony	44	* TYPE-LIG	<b>431.42</b> sq.ft.	- N/A -	₹11,89,282	₹25,000
2 ROOM SET (with one covered Two Wheeler parking)	1 Bedroom • 1 Drawing / Dinning room     1 Kitchen • 1 Toilet • 2 Balcony     One Covered Two Wheeler parking	242	TYPE-2A	<b>570.00</b> sq.ft.	<b>684</b> sq.ft.	₹17,36,500	₹30,000
2 ROOM SET (with one Open Car parking)	• 1 Bedroom • 1 Drawing / Dinning room • 1 Kitchen • 1 Toilet • 2 Balcony • One Open Car parking	44	TYPE-2B	<b>570.00</b> SQ.FT.	<b>684</b> sq.ft.	₹18,36,500	₹30,000
2 ROOM SET (with one Covered Car parking)	• 1 Bedroom • 1 Drawing / Dinning room • 1 Kitchen • 1 Toilet • 2 Balcony • One Covered Car parking	110	TYPE-2C	570.00 sq.ft.	684 sq.ft.	₹19,36,500	₹30,000
3 ROOM SET (with one Open Car parking)	2 Bedroom    1 Drawing / Dinning room     1 Kitchen    2 Toilet    2 Balcony     One Open Car parking	44	TYPE-3A	<b>807.36</b> sq.ft.	<b>968.83</b> sq.ft.	₹24,86,500	₹35,000
3 ROOM SET + STUDY ROOM (with one Covered Car parking)	2 Bedroom • 1 Drawing / Dinning room     1 Kitchen • 2 Toilet • 1 Study room     2 Balcony     One Covered Car parking	140	TYPE-3BS	<b>925.61</b> sq.ft.	1110.73 sq.ft.	₹29,86,500	₹40,000
4 ROOM SET (with one Covered Car parking)	• 3 Bedroom • 1 Drawing / Dinning room • 1 Kitchen • 2 Toilet • 4 Balcony • One Covered Car parking	11	TYPE-4A	<b>1027.89</b> sq.ft.	<b>1233.46</b> sq.ft.	₹34,86,500	₹45,000

For\***EWS** houses (25.17 sq mt.) the Annnual income should be less than ₹ 3.00 lacs and for \***LIG** houses (40.08 sq mt) the annual income should be from ₹ 3.00 lac to ₹ 6.00 lacs.

As per the Letter No.: 576/ माo प्लान/17 Dt 28.12.2017, Allotment of houses\* would be done by Ghaziabad Development Authority (GDA) through Draw.

Note:

- 1. 1 Sq. Meter =10.76 sq feet
- 2. There will not be any priority for specific floors / affordable houses.
- 3. The number of houses may be increase or decrease.



• बुकिंग से पहले घर के बेडरूम, ड्राईंग रूम, बाथरूम व किचन के वास्तविक साइजों की (दीवार छोडकर) जानकारी ऑख कान खोल कर अवश्य कर लें। मोके पर बनाए हुए सेम्पल फ्लैट के कमरों का साइज फीते से अवश्य नाप कर नक्शे के अनुसार जांच ले। प्रिय ग्राहकों, घर में निवेश करते समय गिफ्ट व छूट के लालच में न आए।

# दीया ग्रीनसिटी

#### **POSSESSION IN DECEMBER 2019**

















**ACTUAL PHOTOGRAPHS OF DIYA GREENCITY DATED: 30.06.2018** 

# तालिका-2: आजीविका एवं उनके कोड TABLE - 2: OCCUPATION & THEIR CODES

आजीविका का विवरण Description of Occupation		आजीविका का कोड Occupation Code
SERVICE	सेवा	
Service in State / Central Govt	राज्य / केंद्रीय सरकार में सेवा	10
Service in Public Sector	सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा	11
Service in Private Sector	निजी क्षेत्र में सेवा	12
Service in Armed Forces	सशस्त्र सेनाओं में सेंवा	13
Service in Schools	विद्यालयों में सेवा	14
Service in College / University	महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में सेवा	15
Domestic Service	घरेलू सेवा	16
Other Service	अन्य सेवा	17
BUSINESS	व्यवसाय	
Traders	व्यवसायी	20
Business Executive / Director	व्यवसाय कार्यकारी / निदेशक	21
Business Owner	व्यवसाय स्वामी	22
Industrialist	उद्योगपति	23
Other Business	अन्य व्यवसाय	29
AGRICULTURE	कृषि	
Agriculturist	कृषक	30
Farmer	किसान	31
Agriculture Labourer	कृषि मजदूर	32
SELF EMPLOYED	स्वतः रोजगारी	
Self Employed Doctor	स्वतः रोजगारी डॉक्टर	40
Self Employed Engineer	स्वतः रोजगारी इंजीनियर	41
Self Employed Advocate	स्वतः रोजगारी एडवोकेट	42
Self Employed Chartered Accountant	स्वतः रोजगारी चार्टर्ड एकाउन्टेट	43
Self Employed Vendor	स्वतः रोजगारी विकेता	44
Self Employed Agents	स्वतः रोजगारी एंजेट	45
Other Self Employed Persons	अन्य स्वतः रोजगारी व्यक्ति	49
DEPARTMENT / FIRM	विभाग / फर्म	
Govt. Department	सरकारी फर्म	50
Govt. Undertaking	सरकारी निकाय	51
Limited / Pvt. Ltd. Company	लिमिटेड / प्रा. लि. कम्पनी	52
Partnership Firm	साझेदारी फर्म	53
Charitable Institution	धमार्थ संस्था	54
Other Department / Firm / Institution	अन्य विभाग / फर्म / संस्था	59
OTHER	अन्य	
Occupation not covered by above	उपर्युक्त से पृथक आजीविकाएं	98

#### **UNIT PLAN**

## **TYPE - EWS**



- 1 बेडरूम / लिविंग रूम
- •1 किचन •1 टायलेट •1 बालकनी

#### **EWS UNIT AREA:**

270.93 SQ.FT

#### **UNIT PLAN**

## TYPE - LIG



- 1 बेडरूम 1 ड्राइंग / डाइनिंग रूम
- 1 किचन ●1 टायलेट ●2 बालकनी

#### LIG UNIT AREA:

431.42 SQ.FT

Note: Room sizes are excluding wall sizes.

#### **TYPE OF AFFORDABLE HOUSE**

EWS : Affordable House for Economically Weaker Section Price : Rs. 4,85,460.00

LIG : Affordable House for Lower Income Group Price : Rs. 11,89,282.00

5'-0" WIDE BALCONY

BEDROOM 10'-0"X 11'-9"

#### **UNIT PLANS**

# 2 कमरों का घर 2 ROOM SET

- 1 बेडरूम
- 1 ड्राइंग / डाइनिंग रूम
- 1 किचन
- 1 टायलेट
- 2 बालकनी

**BUILTUP AREA: 570.00 SQ.FT** SUPER AREA: 684.00 SQ.FT.

BALCONY

Note: Room sizes are excluding

wall sizes.



# *LYPE OF AFFORDABLE HOUSE*

Price : Rs. 17,36,500.00 Price : Rs. 18,36,500.00 Price : Rs. 19,36,500.00 With One Covered Two Wheeler Parking.

With One Open Car Parking. With One Covered Car Parking.

2 B 2 C



3 कमरों का घर 3 ROOM SET

**BUILTUP AREA: 807.36 SQ.FT** 

SUPER AREA: 968.83 SQ.FT. • 2 बेडरूम • 1 ड्राइंग / डाइनिंग रूम

Note : Room sizes are excluding wall sizes. • 1 किंचन • 2 टायलेट • 2 बालकनी



3 कमरों का घर + स्टडी रूम 3 ROOM SET + STUDY ENTRY

**BUILTUP AREA:** 925.61 SQ.FT. **SUPER AREA:** 1110.73 SQ.FT.

Note: Room sizes are excluding wall sizes.



4 कमरों का घर

**4 ROOM SET** 

**BUILTUP AREA:** 1027.89 SQ.FT **SUPER AREA:** 1233.46 SQ.FT. Note: Room sizes are excluding wall sizes.

# **SITE PLAN**



# भारतीय स्टेट बैंक की निम्नलिखित शाखाओं में बुकिंग फार्म उपलब्ध हैं Booking Forms are available in following bank branches of STATE BANK OF INDIA

#### **GHAZIABAD**

#### **ARTHALA**

G. T Road 35, Kailash Park St. Payal Kunj, Arthala, Mohan Nagar, Ghaziabad 201007

#### **GANDHINAGAR**

Sher Singh Place, G.T. Road, Gandhi Nagar, Model Town Branch, Ghaziabad 201002

#### **INDIRAPURAM**

GH-26, Krishna Apra D-Mall, Shakti Khand-II, Indirapuram, Niti Khand 3, Manoj Vihar, Indirapuram, Ghaziabad 201014

#### **KHODA**

C O M S Durga Builders, Main Mangal Bazar, Khoda, Distt. Gaziabad, Uttar Pradesh 201301

#### **LAL KUAN**

Main G.T. Road, Lal Kuan, Ghaziabad

#### **MODINAGAR**

Opp Kapra Mill, Modi Nagar- 2012014 Dist Ghaziabad

#### **MURADNAGAR**

Shop No. 66, Ordnance Factory, Railway Road, New Defence Colony, Murad Nagar, Ghaziabad

#### **NAVYUG MARKET**

Navyug Market, Naya Ganj, Ghaziabad 201001

#### **RAJ NAGAR**

Kachari Raj Nagar

#### **RAJ NAGAR EXTN.**

S.G. Impression Plus, Khasra No.1150, Raj Nagar Extn., Ghaziabad

#### **RAJENDER NAGAR**

Sector 5, Rajender Nagar, Sahibabad, Ghaziabad 201005

#### **SHALIMAR GARDEN**

Plot No. H-1, Block-B, Girdhar Plaza, Shalimar Garden Extension-2, Ghaziabad 201005

#### **SHASTRI NAGAR**

SC- 293, C Block, Shastri Nagar, Hapur Road, Ghaziabad

#### **VAISHALI**

Gaur Heights, Sector4, Vaishali, Ghaziabad

#### **VASUNDHARA**

C 17 & 18 . Above More Supermarket, Sector 15 Vasundhara, Ghaziabad 201012

#### **VIJAY NAGAR**

Vijay Nagar, Ghaziabad

#### **NOIDA**

#### **SECTOR 12**

C-10, Sector 12, Noida, Uttar Pradesh - 201301

#### **SECTOR 50**

Plot No-Comm02 Sector 50 Noida Distt.Gautam Budha Nagar, Uttar Pradesh-201301

# भारतीय स्टेट बैंक की निम्नलिखित शाखाओं में बुकिंग फार्म उपलब्ध हैं Booking Forms are available in following bank branches of STATE BANK OF INDIA

#### **DELHI**

#### **ANAND VIHAR**

C-61, Anand Vihar, Delhi-110092

#### **GHONDA**

Gamri Rd, Ghonda Patti Chauhan, Ghonda, Shahdara. Delhi. 110053Z

#### **IP EXTENTION - PATPARGANJ**

Near Kothari Prince Apartments Patparganj Delhi-110092

#### **KRISHNA NAGAR**

F-3/25, KRISHNA NAGAR, BANK STREET, NEW DELHI 110051

#### **MAYUR VIHAR - PHASE 2**

P No-25, Sachdeva Plaza, Mayur Vihar Phase 2, Delhi – 110091

#### **SHAHADRA**

G.T. Road Shahdara, Delhi - 110032

#### **SWASTHYA VIHAR**

A 1, Swasthya Vihar, Vikas Marg, Delhi 110092

#### **TRILOKPURI**

Trilokpuri Delhi-110091

#### **VIKAS MARG**

U-157, Near Patel Hospital, Shakurpur, New Delhi – 110092

#### **HAPUR / PHILKUWA**

#### **HAPUR**

Gandhi Bazar, Near Moti Nagar Bus Stand, Philkuwa - Hapur (U.P.)



#### Real Estate Regulatory Authority Uttar Pradesh



HOW REE CAN Little Prodesh

## **Project Detail**

#### **Project Information**

Project Name I

DIYA GREENCITY, Raj Nagar Extr., Ghaziabad

Registration Number | UPRERAPRJ6568

Project Type ! Ongoing

Project Continuent Number :

3610281828

Agency for External Development

Land Ownership.

Proposed Period

39

Proposed Start Date:

16-10-2016

Modified Start Date :

16-10-2016

Proposed End Date

31-12-2019

#### **Project Location**

State

Uttar Pradesh

District

Ghaziabad

Tetral.

Ghaziabad

Project Address :

#### Promoter Details:

Name

**EUREKA BUILDERS PRIVATE LIMITED** 

Applicant Type

Company

Mobile Number:

1643546733

Address

EUREKA HOUSE, A-30/2, GALI NO. 3 WEST JYOTI NAGAR, DELHE - 110094


Email

PK46733@GMAIL.COM

Copyright © 2017 UP-RERA (index.aspx)

0013841100

Prepared Under: Howeing & Urban Planning Dept U.P. Concieved by: Town & Country Planning Dept U.P. Developed by: Acme Digitek Solutions Pvt. Ltd.





प्रथम तत्, जनपथ नाकेंट, लखनक दूरनाथ: 0522-2254880, 2627021, फैक्स 0522-2612098 E-mail: awasbandhu@gmail.com website.http://www.nwas.up.nk.lin

पत्र संख्या:4522 /आ.ब.-1-निदेशक / संध्याध्योग-डी०पी०आरंग / 2015 दिनांक 02 सितम्बर: 2015

प्रेषक

एस० कें श्रीवास्तव, निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०।

सेवा में.

उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विषयः अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अधीन "समाजवादी आवास योजना" हेतु मैसर्स यूरेका बिल्डर्स प्राoलिo (कन्सीर्शियम) द्वारा प्रस्तुत परियोजना (दीया ग्रीन सिटी राजनगर एक्सटेन्सन) की डीoपीoआरo की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय.

समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत मैससं यूरेका बिल्डर्स प्राठित. (कन्सोंशियम) द्वारा गाजियाबाद विकास क्षेत्र के राजरव याम-मोरटा के खसरा सं.1097 व 1098 के अन्तर्गत "दीया ग्रीन सिटी राजनगर एक्सटेन्शन" नामक परियोजना आवास बन्धु में प्रस्तुत की गयी थी। सम्बन्धित योजना को समाजवादी आवास योजना से नम्बन्धित शासनादेश संख्याः 43/2965/आठ-1-14-34/बैठक/2014 दिनांक 12.12.2014 एवं शासनादेश संख्याः 74/3492/08-1-14-34/बैठक/2014 दिनांक 12.12.2014 के अनुपालन में परीक्षण करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जलार प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत 'दीया ग्रीन सिटी राजनगर एक्सटै-शन' परियोजना की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित परियोजना पर आपके विकास क्षेत्र हेतु निर्दिष्ट नियमों एवं उपनियमों के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृत ∕ अनुझा प्रदान किये जाने की कार्यवाही शासनादेश में निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप पूर्ण करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

उक्त परियोजना के संचालन के सम्बन्ध में उपलिखित शासनादेशों के अनुपालन में आवश्यक अनुबन्ध भी सम्पादित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः अनुमोदित ढी०पी०आर० की हार्डकापी तथा सॉपटकापी।

(एसंवके<del>) श्री</del>वास्तय) निदेशक

अवदी!

संख्या एवं दिनांक तदैष।


प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सुबनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

 निजी तथिव, प्रमुख श्राचिव, आसास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की तदनुत्तर अवलोकनार्थ।

अधिशासी निदेशक आवास बन्धु उत्तर प्रदेश को तदनुसार अवलोकनार्थ।

मेंसर्स पूरेका बिल्डर्स प्राथिति। (कन्सीशियम), यूरेका हाउस, ए-30/2, गली त.-३, वेस्ट ज्याति नगर, शाहदरा, नई दिल्ली को इस निर्देश के साथ सुचित कि कृपया सम्बन्धित विकास क्षेत्र के नियमों के अन्तर्गत गाजियाबाद दिकास प्राधिकरण के कार्यालय में यांधित आवेदन करने का कब्द करें।

> (एसएकेव श्रीवास्तव) निवंशक





कुछ लोग बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अर्फाडेबल हाउसिंग योजना के नाम पर बुकिंग कर रहे हैं। धोखे से बचने के लिए बुकिंग से पहले परियोजना के स्वीकृत मानचित्र व निर्माण स्थल की जांच कर अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करें। अधिक जानकारी के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा आवास बन्धु, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ पर संपर्क कर सकते हैं।

# उत्तर प्रदेश सरकार की

# अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अंतर्गत

# लोकेशन मेप 🕨





- बुकिंग करने से पहले देख लें कि क्या प्रोजेक्ट की साइट से आपके रिश्तेदार या बच्चें, रात या दिन में सार्वजिनक यातायात सुविधा (बस, आटो, रेल, रिक्शा) से आपके घर तक पहुँच सकते है। वर्तमान में प्रोजेक्ट की साइट के पास उपलब्ध स्कूल कॉलिज, हॉस्पिटल व अन्य सुविधाएं देख कर ही घर बुक करायें। अपनी मेहनत की कमाई का निवेश अच्छी लोकेशन पर सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं में ही देखभाल कर करें।
- प्रोजेक्ट की स्वीकृति से पूर्व फ्लैटों की बुिकंग / रिजिस्ट्रेशन / विज्ञापन करना गैर कानूनी है।
   कृपया ऐसे प्रलोभनों व व्यक्तियों से सावाधान रहे।

# उत्तर प्रदेश सरकार की अफोर्डे<mark>बल हाउसिंग नीति के अंतर्गत</mark> सामान्य नागरिकों को सस्ते घर का उपहार



**ACTUAL PHOTOGRAPH OF DIYA GREENCITY DATED 30.06.2018** 

90% तक होम लोन सुविधा हेतु निम्न बैंकों द्वारा स्वीकृत परियोजना



























ऑनलाइन बुकिंग एवं भुगतान सुविधा www.diyagreencity.com पर उपलब्ध है।

परियोजना स्थल : K. No. 1097 & 1098, मोरटा, राजनगर एक्सर्टेशन, निकट वरदान अस्पताल / रिलायबल इंस्टीट्यूट, मेरठ रोड़, गाजियाबाद

